

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-रौनापारदो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण , क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थानाध्यक्ष रौनापार के नेतृत्व में दिनांक 11.06.2021 को उ०नि० रामजीत द्वारा मय राह द्वारा बैदौली तिराही से समय करीब 09.50 बजे एक नफर अभियुक्त दिनेश साहनी पुत्र शम्भू साहनी सा० सेठाकोली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ व उसी क्रम में उ०नि० राकेश यादव मय राह द्वारा मु०अ०सं० 55/18 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त राकेश विश्वकर्मा पुत्र मोती विश्वकर्मा निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु०अ०सं० 97/21 धारा 306 भादवि थाना रौनापार आजमगढ़ आजमगढ़ ।
- 2- मु०अ०सं० 55/18 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियमथाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. दिनेश साहनी पुत्र शम्भू साहनी सा० सेठाकोली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. राकेश विश्वकर्मापुत्र मोती विश्वकर्मा निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० रामजीत थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. उ०नि० राकेश यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का० उपेन्द्र यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. हे०का० दीपक कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना-देवगांवअवैध गांजा व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो गाजां तस्क़र गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध विशेष रूप से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आजमगढ़ पुलिस को मिली सफलता---

दिनांक 11.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना देवगांव के नेतृत्व में उ०नि० अनिल कुमार सिंह , उ०नि० त्रिभुवन सिंह मय राह के रोकथाम जुर्म-जरायम चेंकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन आमा महुआ मोड पर कर रहे थे कि लहुआ , लालगंज रोड से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति लालगंज की तरफ से आ रहे थे जो पुलिस वाले को अचानक देखकर गाडी पीछे मोड़ने का प्रयास किये कि राही कर्म०गण की मदद से दोनो व्यक्ति को मोटरसाइकिल सहित पकड लिया गया पकडे गये व्यक्ति का क्रमशः नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपने नाम सोनू कुमार पुत्र अरुण कुमार नि० उपेन्दा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ व दूसरे ने संदीप कुमार पुत्र तीर राम नि० हैवतपुर डुमाव मौजा मस्तवानी थाना तरवां आजमगढ़ बताया दोनो से पुलिस को देखकर भागने का कारण पूछा गया तो दोनो ने बताये कि लोगो के पास नाजायज गाजा था जिसके वजह लोग पकडे जाने के डर से भागने का प्रयास कर रहे थे । सोनू कुमार उपरोक्त की जामा तलाशी लीगयी तो पिट्टू बैग से 01 किलो 100 ग्राम गाजा मिला तथा संदीप कुमार उपरोक्त की जामा तलाशी ली गयी तो काले रंग के पिट्टू बैग से 01 किलो 100ग्राम गाजा मिला तथा मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस वरंग काली विना नम्बर के बैध पेपर मांगा गया तो दोनो ने सामुदायिक रूप से बताये कि साहब वर्ष 2018 मे लालगंज वाईपास से दोनो ने मिलकर चोरी किये थे जिसके इंजन नम्बर का अवलोकन किया गया तो इंजन नम्बर HA10AGHHC0389, चेचिस नम्बर MBLHAR089HHC4625 है । जिससे नियमानुसार बजाफ़ता वकायदा समय करीब 18.10 बजे सोनू कुमार , संदीप कुमार को पुलिस हिरासत में लिया गया । उक्त दोनो के विरुद्ध दिनांक 10.06.2021 को मु०अ०सं 97/2021 धारा 41/411/414 भादवि व 8/20 एनडीपीएक्ट थाना स्थानीय पर पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही नियमानुसार किया जा रहा है ।

अभियोग पंजीकृत— मु०अ०सं० 97/2021 धारा 41/411/414 भादवि व 8/20एनडीपीएस एक्ट

गिरफ्तारी का स्थान - आमा महुआ , दिनांक घटना 10.06.2021

गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता—

- (1) सोनू कुमार पुत्र अरुण कुमार नि० उपेन्दा थाना देवगाँव आजमगढ़
- (2) संदीप कुमार पुत्र तीर राम नि० हैवतपुर डुमाव मौजा मस्तवानी थाना तरवां आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- (1) उ०नि० अनिल कुमार सिंह चौकी प्रभारी लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ़

- (2) उ0नि0 त्रिभुवन सिंह चौकी प्रभारी पल्हना थाना देवगाँव आजमगढ़
- (3) का0 राहुल कुमार यादव चौकी पल्हना थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
- (4) का0सदानन्द शाह चौकी लालगंज थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
- (6) का0 दीनदयाल चौकी लालगंज थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

थाना-देवगाँव

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

दिनाँक 11.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना देवगाँव के नेतृत्व में उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य मय राह रोकथाम जुर्म-जरायम मे मामूर था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि मु0अ0स0 94/2021 धारा 147/ 148/ 149/ 307/ 323/ 504/ 506/427 भादविमे नामजद वांछित अभियुक्त सफीक अद उर्फ राजू पुत्र अब्दुल खालिक नि0 बनारपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है अगल जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है मुखबीर की इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय राह अभियुक्त उपरोक्त के घर ग्राम बनारपुर पहुचा तो अभियुक्तसफीक अद उर्फ राजू उपरोक्त अपने घर पर मौजूद मिला जिसको कारण गिरफ्तारी बता कर नियमानुसार समय 10.20 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त से घटना के बावत पूछने पर बताया कि दिनाँक 08.06.2021 को झगडा के क्रम ने अपने नाजायज तमंचा से जान मारने की नियत से फायर किया था तमंचा के बावत पूछने पर बताया कि वह तमंचा अपने घर के एक कमरे गेहू रखने वाले ड्रम मे छिपाकर रखा हूँ। बरामद करा सकता हूँ अभियुक्त सफीक अद उर्फ राजू आगे आगेचल कर अपने घर के उत्तर, पश्चिम कमरे मे कोने मे रखा गेहू का ड्रम के अन्दर से कागज से लपटा हुआ एक अदद तमंचा 12 बोर जिसको खोल कर देखा गया तो एक अदद खोखा कार0 जो चेम्बर मे फसा हुआ था जिसे निकाला गया तथा एक अदद जिन्दा कार0 12 बोर कागज मे पडा हुआ था। तमंचा व कार0 रखने का अधिकार पत्र माँगा गया तो नही दिखा सका। जो धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त सफीक अद उर्फ राजू पुत्र अब्दुल खालिक नि0 बनारपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही नियमानुसार किया जा रहा है।

अभियोग पंजीकृत—मु0अ0स0 94/2021 धारा 147/ 148/ 149/ 307/ 323/ 504/ 506/427 भादविबढोत्तरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तारी का स्थान बनारपुर, दिनाँक घटना 11.06.2021 समय 10.20 बजे

गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता-- सफीक अद उर्फ राजू पुत्र अब्दुल खालिक नि0 बनारपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम –

- (1) उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
- (2) हे0का0 श्याम कुमार गौतम थाना देवगाँव आजमगढ़
- (3) का0 भानू प्रताप थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़